न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्रा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 222/2019

प्रार्थीगण

1 पुष्पा पुत्री भंवरलाल पत्नी सम्पतराज जैन निवासी भाड़खा हाल निवासी खागल मौहल्ला बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 2 मीना पुत्री भंवरलाल पत्नी पुखराज जैन जाति जैन निवासी भाड़खा हाल रणधा तहसील फतेहगढ तहसील जिला जैसलमेर 3 रेखा पुत्री भंवरलाल पत्नी सम्पतराज जैन जाति ओसवाल निवासी भाड़खा हाल निवासी झाख तहसील गिडा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 अशोक कुमार 2 पवन पिसरान भंवरलाल 3 पगुदेवी पत्नी भंवरलाल 4 मदन 5 गौतम 6 सुरेश 7 बदामीदेवी पिसरान चिन्तामणदास 8 मोहिनीदेवी पत्नी चिन्तामणदास 9 बबुदेवी पत्नी केशरीमल 10 बांकीदास 11 कमला पिसरान केशरीमल जाति ओसवाल निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 12 सुशीलादेवी पत्नी ओमप्रकाश 13 राजेश मेहता 14 कैलाश मेहता पिसरान ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी स्टेशन रोड बाड़मेर 15 जयप्रकाश पुत्र बन्नाराम जाति सिन्धी लोहाणा निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 16 सवाईलाल पुत्र स्वरूपचन्द जाति दर्जी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 17 स्वरूपचन्द पुत्र मगाराम जाति दर्जी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 18 बन्नाराम पुत्र गुरूनामल जाति सिन्धी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 19 सुशीलादेवी पत्नी भेगराज बोहरा 20 भीमराज पुत्र सोनराज बोहरा जाति जैन निवासी द्वारकापुरी स्कीम जयपुर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :- 1 श्री राणाराम गौड़, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री रमेश सोलंकी, वकील अप्रार्थी संख्या 12 से 14।

निर्णय

दिनांक 20/09/19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 16 रकबा 23.13 बीघा (नये खसरा संख्या 262/16 व 264/16 रकबा क्रमशः 09.07 बीघा एवं 09.06 बीघा, खसरा संख्या 261/16, 263/16 रकबा क्रमशः 02.10 बीघा व 02.10 बीघा, खसरा संख्या 317 रकबा 25.01 बीघा कुल रकबा 48.14 बीघा) आए हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 11 के दादा मुतवफी हंजारीमल के स्वामित्व एवं आधिपत्य का होने के कारण पर्चा लगान उनके नाम से जारी किया गया। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा हंजारीमल का 1/2 हिस्सा व उनके भाई केसरीमल का भी 1/2 हिस्सा वक्त बन्दोबस्त दर्ज हुआ था। हंजारीमल का देहान्त होने पर वादग्रस्त खेतों की भूमि प्रार्थीगण के पिता मुतवफी भंवरलाल एवं ताऊ चिन्तामणदास की खातेदारी में अंकित हो गई। ततपश्चात प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल का देहान्त सन् 2002 में हो गया। भंवरलाल के देहान्त के पश्चात विधि

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

अनुसार उपर्युक्त पैतृक भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज की जानी चाहिए थी, परन्तु प्रार्थीगण के भाईयों अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा राजस्व कर्मियों से मिलकर नामान्तकरण अपने पक्ष में करवा दिया। प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया। प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिस होने के उपरान्त भी उनका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नही किया गया। प्रार्थीनीगण के पिता मुतवफी भंवरलाल का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा अंकित था। भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के वैध वारिसान 02 पुत्र, 01 पत्नी व 03 पुत्रियां थे, जिनका प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा विधि अनुसार बनता है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा भंवरलाल के देहान्त के पश्चात राजस्व अभिलेख में अंकित नाम का फायदा उठाते हुए अपने हिस्से 1/24–1/24 से ज्यादा अर्थात सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 15 से 18 को भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से किया गया। ततपश्चात अप्रार्थी संख्या 15 से 18 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 19 से 20 को किया गया। ततपश्चात अप्रार्थी संख्या 19 से 20 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 से 14 को किया गया। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा अपने 3/24 हिस्से से अधिक जाकर प्रार्थीगण के हिस्से को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का भूमि का बेचान किया गया, जो प्रार्थीनीगण के हिस्सों तक अवैध व शून्य है। इस प्रकार प्रार्थीनीगण वादग्रस्त खेतों में भंवरलाल के 1/4 हिस्से में से प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा अर्थात कुल 3/24 हिस्सा संयुक्त रूप से घोषित करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू करवाने पर प्रार्थीनीगण को ज्ञात हुआ तो उन्होने वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 धनबल के माध्यम से प्रार्थीनीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे इसमे सफल होते है तो प्रार्थीनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीनीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 12 से 14 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 12 से 14 वाद के निर्णय तक मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि भंवरलाल के 2002 में देहान्त होने के पश्चात भूमि अविभक्त हिन्दु परिवार की पैतृक होने से उनके संयुक्त परिवार के सहदायिकों अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरित सही की गई। प्रार्थीनीगण स्वर्गीय भंवरलाल की विवाहिता पुत्रियां है। उनको अविभक्त हिन्दु परिवार की सम्पतियों में कोई अधिकार नही है और न ही कानूनन विवाहित पुत्रियों को सहदायिकी माना गया है। लिहाजा प्रार्थीनीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक नही है। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा किये बेचान एवं उसी के आधार पर पश्चातवर्ती अन्तरण सही है। सितम्बर 2005 को हिन्दु

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधि में किये संशोधन के पश्चात विवाहित पुत्रियों को भी सहदायिक मानने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत भी 2005 से पूर्व में किसी कर्ता अर्थात भंवरलाल के स्वर्गवास के पश्चात परिवार की सम्पतियों के पुत्र सहदायिकों में न्यस्त होने के पश्चात उक्त संशोधन के आधार पर प्रार्थीनीगण विवाहित पुत्रियों को संशोधन के पश्चात ही सहदायिकी की प्रास्थिति प्राप्त होती है। इसलिए स्वर्गीय भंवरलाल के 2002 में स्वर्गवास के पश्चात उसके संयुक्त परिवार की पैतृक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण विवाहित पुत्रियों के सहदायिक नही होने से विवेच्य विक्रय पत्रों को चुनौति देने अथवा अमान्य करने का प्रार्थीनीगण का वाद व आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। माननीय सर्वोच न्यायालय ने भी सितम्बर 2005 में हुए बंन्टवाड़ान्यस्त भूमियों की स्थिति में नये संशोधन को लागू नही होना निर्णित किया है। स्वर्गीय भंवरलाल के पैतृक संयुक्त हिन्दु परिवार के खातेदारी की अन्य भूमि मौजा भाड़खा में खसरा संख्या 317 की आई हुई है, जो सहदायिक अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज है। प्रार्थीनीगण ने इन खसरों की भूमि में अपना हक नही मांग कर अप्रार्थी संख्या 12 से 14 को बेची हुई भूमि को दुराश्य से अनाधिकृत रूप से चुनौति देकर वाद प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज योग्य है। यदि प्रार्थीनीगण का वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा बनता है तो भी वह खसरा संख्या 317 की भूमि से प्राप्त किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का है। प्रार्थीनीगण अपने ससुराल में रहती है। इसलिए उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का वादग्रस्त भूमि पर खरीद से आज तक कब्जा काश्त है। लिहाजा प्रार्थीनीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी। आवेदन खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थीनीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 से 14 की और से प्रस्तुत जवाब का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2019 को अपाश्त करने का निवेदन किया है, जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया गया है, जो विधि अनुसार प्रार्थना पत्र में नही किया जा सकता है। प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किया जा सकेगा।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनीगण द्वारा आवेदन में तथा जवाबुलजवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण भंवरलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से भंवरलाल की मृत्यु पर उसके नाम से नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर कानूनी भूल की है। प्रार्थीनीगण वादग्रस्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थीनीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टाया

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

F:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\212 RTA\ORDER 212.docx

Scanned by CamScanner

प्रकरण प्रार्थीनी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीनीगण के पक्ष में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 12 से 14 की और से आवेदन के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भंवरलाल की मृत्यु 2002 में होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि अविभक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि होने से उनके संयुक्त परिवार के सहदायिकों प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरित सही की गई। विवाहित पुत्रियों को कानूनन सहदायिकी नही माना गया है। सितम्बर 2005 को हिन्दू विधि में किये गये संशोधन के पश्चात विवाहित पुत्रियों को भी सहदायिक मानने का प्रावधान जोड़ा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सितम्बर 2005 में अपने निर्णय में उक्त तथ्य को भंलीभांती परिभाषित किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनीगण का कब्जा काश्त नही है। लिहाजा उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीनीगण अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनीगण के पक्ष में नही है और न ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीनीगण के पक्ष में है। आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा अभिलिखित खातेदारान से क्रय की गई है और उनके पक्ष में खातेदारी इन्द्राज भी हो चुके है। संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का कब्जा है। न्याय के मतानुसार कब्जा धारण किये हुए अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 जो इस भूमि के क्रेता है, राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है तथा प्रथम दृष्टया भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का ही होना पाया गया है। प्रार्थीनीगण को इस वादग्रस्त भूमि में जन्मजात खातेदारी अधिकार प्राप्त है अथवा नही यह बिन्दु मूल वाद से निर्धारित होगा। इस बिन्दु का निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन से नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थीनीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। उनके पक्ष में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 10.06.2019 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21/08/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner